निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 27 / 2020
दायरा दिनांकः–06.07.2020
निर्णय दिनांकः– 21.8.24

उनवान

1 अमरसिंह आयु 38 वर्ष आत्मज छोटया उर्फ छोटेलाल जाति कुम्हार
2. पंसुरीबाई आयु 68 वर्ष पत्नि स्व0 छोटया उर्फ छोटेलाल जाति कुम्हार
3. प्रेमबाई आयु 48 वर्ष आत्मज छोटया उर्फ छोटेलाल जाति कुम्हार
4. ममताबाई आयु 36 वर्ष आत्मज छोटया उर्फ छोटेलाल जाति कुम्हार
5. नटटी बाई आयु 32 वर्ष आत्मज छोटया उर्फ छोटेलाल जाति कुम्हार निवासीगण आशापुरा हाल मुकाम रूपारेल तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. प्रेमनारायण आयु 45 वर्ष आत्मज गंगाराम जाति ऐरवाल निवासी ग्राम जैपला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. रामदयाल आयु 45 वर्ष आत्मज नेनकराम जाति ऐरवाल निवासी भोजपुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 21.8.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भगवान बलरिया – प्रार्थी
2. श्री राजेश लोधा – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 139/3 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम आशापुरा तहसील छबडा जिला बारां राज. में अवस्थित है। जिसका इन्द्राज भू–अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी में अंकित है। जो संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करने का वैधनिक अधिकारी है। अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के अपराधिक लडाकू झगडालू प्रवृति के संगठीत परिवार के सदसय है। अप्रार्थीगण जबरन बलपूर्वक अवैध रूप से तागत के बल पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की उक्त भूमि के शान्तिपुर्वक कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग में निरन्तर बाधा उत्पन्न कर रहे है। जबकि उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नही है। ऐसा कृत्य करने का अप्रार्थीगण को कोई वैधनिक अधिकारी प्राप्त नही है। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त कृत्या ना करने से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक व न्यायोचित है। दिनांक 15.06.2020 को वादीगण अपनी भूमि पर हकाई करने गया ता अप्रार्थीगण घातक हथियारों से लेस होकर वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त भूमि पर आऐ व प्रार्थी अमरसिंह के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:40:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

गाली–गलोच की तथा उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने का असफल प्रयास किया जिसे वादी अमरसिंह द्वारा बडी मुश्किल से रोका गया। इसके बाद अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण व उसके परिजन कृषि मजदुर के उक्त भूमि पर आने पर उसके हाथ पैर काट कार जान से खत्म करने व जबरन बलपूर्वक अवैध रूप से भविष्य मे उक्त जमीन पर कब्जा करने की प्राथीगण को धमकी दी। इस सन्दर्भ में थाना बापचा में रिपोर्ट करने गया तो उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की व अदालत में दावा करने को कहां। वादी अमरसिंह अपने परिवार में एक मात्र पुरूष अकेला व्यक्ति है जबकि अप्रार्थीगण संगठीत परिवार के लडाकू–झगडालू प्रवृति के है जो ताकत के बल पर प्रार्थीगण की उक्त भूमि को अतिक्रमण कर छीनना चाहते है प्रार्थीगण को उसकी भूमि से बेदखल कर काबिज होना चाहते है जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है। इसलिए वादी को सह आशंका उत्पन्न हो गई कि कभी भी अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर सकतें है। इसलिए उक्त कृत्य को रोकने हेतु अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना अत्यन्त आवश्यक व न्यायोचित है। यदि मुताबिक धमकी अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति असम्भव होगी तथा वादीगण को अकारण कई मुकदमों में उलझना पडेगा व प्रार्थीगण को उसके सम्पति के अधिकार व जिविकापार्जन के साधन से विमुख होना पडेगा। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का वैधानिक अधिकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण नही करने बाबत् प्रार्थीगण द्वारा इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नही रहा। प्राईमा फेसाई केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये तलव किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाव पेश नही होने पर दिनांक 06.08.2024 को जवाब बन्द किया गया। प्रार्थीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम आशापुरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 2 नकल नक्शा ट्रेस किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जो प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहतें है अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है विवादित आराजी पर हम प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा है अप्रार्थीगण हम प्रार्थीगण को बेदखल कर भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहतें है अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:40:51 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा किसी अन्य वयक्ति का कब्जा चला आ रहा है प्रार्थीगण को धारा 188 आर.टी.ए. में दावा लाना चाहिये था। प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया है हमारा प्रार्थीगण की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से पक्षकार बनाया है हमें प्रार्थी की भूमि से कोई लेना देना नही है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम आशापुरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 2 में प्रार्थीगण का नाम दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी की है प्रतिवादी अप्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कही नाम नही है अप्रार्थीगण को प्राथीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है विवादित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में भी नही है अप्रार्थी प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा का बेदखल करने का कोई अधिकार नही है। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम आशापुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 139/3 रकबा 3 बीघा पर प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। ऐसा कृत्या ना तो स्वंय करे ओर ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:40:51 IST
Reason: SelfAttested